



POLICE COMMISSIONERATE



GAUTAM BUDH NAGAR

सराहनीय कार्य/प्रेस विज्ञप्ति - दिनांक 09.06.2022

1- थाना सेक्टर-63 नोएडा पुलिस द्वारा एटीएम कार्ड बदलकर पैसे निकालने व एटीएम कार्ड चोरी करने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी/बदले गये भिन्न-भिन्न बैंको के 30 एटीएम कार्ड बरामद।

दिनांक 09.06.2022 को थाना सेक्टर-63 नोएडा पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान एटीएम कार्ड बदलकर पैसे निकालने व एटीएम कार्ड चोरी करने वाले 02 अभियुक्त 1-मुन्ना देशवाल पुत्र इरशाद 2-आरिफ पुत्र बसीर अहमद को थाना क्षेत्र के गिरधारी स्वीट्स के पास, ग्रीन बेल्ट चौकी क्षेत्र बहलोलपुर से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्तों के कब्जे से भिन्न-भिन्न बैंकों के बदले/चोरी किये गये 30 एटीएम कार्ड बरामद किये गये है।

विवरण:

अभियुक्तों द्वारा बताया गया कि ये एटीएम कार्ड कुछ हमने चोरी किये है व कुछ को हमने पैसे निकालने आने वाले व्यक्तियों से बदल लिया है हम दोनों लोग ये एटीएम कार्ड लेकर एटीएम मशीन के बाहर खडे हो जाते है जब कोई व्यक्ति अपने एटीएम कार्ड से एटीएम मशीन से पैसे निकालने आता है तो हम लोग पहले से ही एटीएम मशीन के ऊपर के हिस्से मे स्थित हरा बटन दबा देते है इससे एटीएम मशीन काम करना बंद कर देती है जब कोई व्यक्ति अपना एटीएम कार्ड लगाकर पैसे निकालने की कोशिश करता है तो एटीएम मशीन काम न करने के कारण पैसा नहीं निकलता इसी बीच मे हम में से एक व्यक्ति सहायता करने के बहाने से अन्दर आ जाता है तथा पैसे निकालने की प्रक्रिया को तीन-चार बार दोहराया जाता है इसी बीच हम लोग उसका पिन कोड चालाकी से देख लेते है तथा पैसे निकालने की प्रक्रिया के दौरान ही हम उस व्यक्ति से उसी बैंक का एटीएम कार्ड बदल देते है तथा किसी अन्य एटीएम से पैसा निकाल लेते है।

अभियुक्तों का विवरण:

1-मुन्ना देशवाल पुत्र इरशाद निवासी डाबर तालाब संगम बिहार, थाना लोनी, जनपद गाजियाबाद।

2-आरिफ पुत्र बसीर अहमद निवासी गिरी मार्केट, एक मीनार मस्जिद, थाना लोनी, जनपद गाजियाबाद।

पंजीकृत अभियोग/आपराधिक इतिहास का विवरण:

अभियुक्त मुन्ना

1-मु0अ0सं0 1484/2020 धारा 8/22 एनडीपीएस एक्ट थाना विजयनगर, गाजियाबाद।

2-मु0अ0सं0 1485/2020 धारा 420 भादवि थाना विजयनगर, गाजियाबाद।

3-मु0अ0सं0 202/2022 धारा 41/102 सीआरपीसी एवं धारा 414/420 भादवि थाना सेक्टर-63, नोएडा।

अभियुक्त आरिफ

1-मु0अ0सं0 1159/2021 धारा 4/25 शस्त्र अधिनियम थाना फेस-3, नोएडा।

2-मु0अ0सं0 202/2022 धारा 41/102 सीआरपीसी एवं धारा 414/420 भादवि थाना सेक्टर-63, नोएडा।

बरामदगी का विवरण:

भिन्न-भिन्न बैंको के 30 एटीएम कार्ड



2-थाना सेक्टर-20 नोएडा पुलिस द्वारा बन्द (LAPSE) पडी बीमा पोलिसी को चालू करने का झांसा देकर धोखाधडी करने वाले 02 अभियुक्ता सहित 4 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 8 मोबाइल फोन, 2 लैपटॉप, 2 पेन्ड्राइव, 3 डेबिट कार्ड एवं 50 हजार रूपये नगद बरामद।

दिनांक 09/06/2022 को थाना सेक्टर-20 नोएडा पुलिस द्वारा बन्द(LAPSE) पडी बीमा पोलिसी को चालू करने का झांसा देकर धोखाधडी करने वाले 02 अभियुक्ता सहित 4 अभियुक्त 1-इस्लाम खान पुत्र इमामुद्दीन खान निवासी एम 53, सौरभ विहार, थाना जैतपुर, दिल्ली 2- शोभित गुप्ता पुत्र उमेश गुप्ता निवासी 917 शिवपुरी-2, थाना विजयनगर, जिला गाजियाबाद व अभियुक्ता 3-भारती राजपूत पुत्री सुभाष राजपूत निवासी सोनिया विहार, दूसरा पुस्ता, थाना खजुरी, दिल्ली 4-प्रीती पुत्री रमेश निवासी मयूर विहार, थाना मयूर विहार, दिल्ली को थाना क्षेत्र के सेक्टर-18 स्थित चौखन्डी बिल्डिंग के द्वितीय तल से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्तों के कब्जे से 8 मोबाइल फोन, 2 लैपटॉप, 2 पेन्ड्राइव, 3 डेबिट कार्ड एवं 50 हजार रूपये नगद बरामद हुए है।

अभियुक्तों द्वारा विभिन्न कम्पनियों की बन्द(LAPSE) पडी बीमा पोलिसीयों को उनके पॉलिसी धारकों से जरिए दूरभाष सम्पर्क कर पॉलिसी को चालू करने का झांसा देकर धोखाधडी करके रूपये वसूलने का कार्य किया जा रहा था।

अभियुक्तों का विवरण:

1-इस्लाम खान पुत्र इमामुद्दीन खान निवासी एम 53, सौरभ विहार, थाना जैतपुर, दिल्ली।

2- शोभित गुप्ता पुत्र उमेश गुप्ता निवासी 917 शिवपुरी-2, थाना विजयनगर, जिला गाजियाबाद।

अभियुक्ता का विवरण:

3-भारती राजपूत पुत्री सुभाष राजपूत निवासी सोनिया विहार, दूसरा पुस्ता, थाना खजुरी, दिल्ली।

4-प्रीती पुत्री रमेश निवासी मयूर विहार, थाना मयूर विहार, दिल्ली।

पंजीकृत अभियोग का विवरण:

1-मु0अ0सं0 232/22 धारा 420/406 भादवि थाना सेक्टर-20, गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी का विवरण:

1.8 मोबाइल फोन

2.2 लैपटॉप

3.पेन्ड्राइव

4.3 डेबिट कार्ड

5.50 हजार रूपये नगद



3- थाना सेक्टर-39 नोएडा पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट में वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 09.06.2022 को थाना सेक्टर-39 नोएडा पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 333/2022 धारा 2/3 गैंगस्टर अधिनियम के अंतर्गत वांछित 01 अभियुक्त योगेश वर्मा पुत्र राजाराम निवासी मदनपुर, थाना कालिन्दी कुंज, दिल्ली मूल निवासी काहरा, थाना कवरई, जिला महौबा को थाना क्षेत्र के महामाया फ्लाई ओवर के नीचे से गिरफ्तार किया गया है।

अभियुक्त का विवरण:

योगेश वर्मा पुत्र राजाराम निवासी मदनपुर, थाना कालिन्दी कुंज, दिल्ली मूल निवासी काहरा, थाना कवरई, जिला महौबा।

आपराधिक इतिहास का विवरण:

1-मु0अ0सं0 333/2022 धारा 2/3 गैंगस्टर अधि0 थाना सेक्टर-39, नोएडा।

2-मु0अ0सं0 28/22 धारा 414/411 भादवि थाना सेक्टर-39, नोएडा।

3-मु0अ0सं0 676/21 धारा 379/411 भादवि थाना सेक्टर-39, नोएडा।

4-मु0अ0सं0 1242/21 धारा 379/427 भादवि थाना फेस-3, गौतमबुद्धनगर।

5-मु0अ0सं0 904/21 धारा 379 भादवि थाना सेक्टर-24, नोएडा।

6-मु0अ0सं0 952/21 धारा 379 भादवि0 थाना सेक्टर-58, नोएडा।



#कमिश्नर गौतमबुद्धनगर पुलिस द्वारा महिलाओं की सुरक्षा एवं महिला एवं बाल अपराधों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से की जा रही है गहन कार्यवाही।

गौतमबुद्धनगर पुलिस की प्रभावी पैरवी के कारण मा0 न्यायालय द्वारा दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट के आरोपी को आजीवन कारावास एवं 32,000 रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया, अर्थदण्ड जमा न करने पर 02 वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

पुलिस कमिश्नर गौतमबुद्धनगर के निर्देशन में गौतमबुद्धनगर पुलिस व अभियोजन अधिकारी श्री नीटू बिश्नाई की प्रभावी पैरवी के परिणाम स्वरूप मु0अ0सं0 798/2017 धारा 363,366,376 आईपीसी एवं धारा 3/4 पॉक्सो अधिनियम थाना बिसरख में आज दिनांक 09/06/2022 को माननीय न्यायालय एडीजे/स्पेशल पॉक्सो-1 श्री निरंजन कुमार द्वारा अभियुक्त सतेंद्र शर्मा उर्फ सचिन पुत्र महेश चंद्र शर्मा निवासी ग्राम खवासपुर, थाना कोतवाली देहात, जिला बुलंदशहर को आजीवन कारावास एवं 32,000 रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया, अर्थदण्ड जमा न करने पर 02 वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

कमिश्नर गौतमबुद्धनगर पुलिस द्वारा लगातार अभियुक्तों को सजा दिलायी जा रही है। कमिश्नर गौतमबुद्धनगर की आगे भी प्रभावी कार्यवाही जारी रहेगी।

#पुलिस कमिश्नर गौतमबुद्धनगर आलोक सिंह के निर्देशानुसार सभी जोन के डीसीपी व एडीसीपी द्वारा कल होने वाली जुमे की नमाज के दृष्टिगत पुलिस बल के साथ मिश्रित आबादी वाले क्षेत्रों में एरिया डोमिनेशन किया गया और लोगों को आपसी भाईचारा एवं शांति बनाए रखने का संदेश दिया गया।

पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह के निर्देशानुसार दिनांक 09/06/2022 को सभी जोन के डीसीपी व एडीसीपी द्वारा कल होने वाली जुमे की नमाज के दृष्टिगत संबंधित एसीपी, थाना प्रभारी व पुलिस बल के साथ मिश्रित आबादी वाले क्षेत्रों में एरिया डोमिनेशन किया गया। एरिया डोमिनेशन के दौरान पुलिस अधिकारीगणों द्वारा आमजन से बातचीत करते हुए उन्हें

आपसी भाईचारा एवं शांति बनाए रखने का संदेश दिया गया और लोगों को किसी भी प्रकार की अफवाह पर ध्यान न देने, असमाजिक तत्वों के बारे में तुरंत पुलिस को सूचना देने व शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु लोगों को बताया गया।

दिनांक 10/06/2022 को होने वाली नमाज के दृष्टिगत सभी पुलिस अधिकारीगणों द्वारा अपने-अपने क्षेत्रों के धार्मिक गुरुओं के साथ बैठक कर ली गई है और उनसे लोगों को समझाने व कानून व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करने हेतु कहा गया है। धार्मिक गुरुओं व आमजन से बातचीत करते हुए उनसे उनकी समस्याओं के बारे में जानकारी की गई एवं सम्बन्धित को त्वरित निस्तारण हेतु निर्देशित कर दिया गया है।

कमिश्नर की कानून व्यवस्था को यथावत बनाए रखने हेतु सभी संवेदनशील स्थानों पर अतिरिक्त पुलिस बल की ड्यूटी लगाई गयी है। ड्रोन की सहायता से भी निगरानी की जा रही है। मुख्य चौराहो, बाजारों व अन्य भीडभाड वाले स्थानों पर निरंतर पुलिस द्वारा पैट्रोलिंग करते हुए संदिग्ध वाहन/व्यक्तियों की चेकिंग की जा रही है। साथ ही लोगों को यह संदेश दिया जा रहा है की यदि कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार की अफवाह फैलाएगा या माहौल बिगाड़ने का प्रयत्न करेगा तो उसके विरुद्ध कड़ी वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जायेगी।

